**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1175

उत्‍तर देने की तारीख: 20.12.2018

**समग्र शिक्षा योजना की प्रगति**

**1175. श्री प्रभात झाः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ‘समग्र शिक्षा’ नामक एक एकीकृत योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच उपलब्ध कराकर और प्रवास के कारण प्रभावित हुए वंचित शहरी बच्चों और दूर दराज के और छिटपुट आबादी वाले क्षेत्र में रहने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देकर स्कूल के सभी स्तरों पर लैंगिक असमानता और सामाजिक खाई के अंतर को पाटना है; और

(ख) क्या उक्त योजना निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रगति पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) और (ख): जी, हां। समग्र शिक्षा - स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना को 2018-19 से केंद्रीय प्रायोजित योजना के तौर पर शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तत्कालीन 3 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात सर्व शिक्षा अभियान,  राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा (टीई) को शामिल किया गया है। यह एक व्‍यापक कार्यक्रम है जिसके तहत शिक्षा क्षेत्र का प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक विस्तार किया गया है। इसके तहत 'विद्यालय' की प्री स्कूल, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्‍यमिक स्तर तक निरंतरता की परिकल्पना की गई है। राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा इस बावत सहायता दी जाती है कि वे सार्वभौमिक पहुंच और बच्‍चों को बनाए रखने के लिए समग्र शिक्षा का कार्यान्‍वयन करें, शिक्षा में महिला-पुरूष और सामाजिक वर्ग अंतरालों को पाटें और स्‍कूल शिक्षा के सभी स्‍तरों पर बच्‍चों के अधिगम स्‍तर को सुधारें।

योजनाओं के अंतर्गत मुख्‍य पहलें निम्‍न हैं: (i) अवसंरचना विकास और प्रतिधारण सहित सार्वभौमिक पहुंच; (ii) महिला-पुरूष और समतुल्‍यता; (iii) समावेशी शिक्षा; (iv) गुणवत्‍ता; (v) शिक्षक वेतन हेतु वित्‍तीय सहायता; (vi) डिजिटल पहलें; (vii) यूनीफार्म, पाठ्यपुस्‍तकों इत्‍यादि सहित नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) के अंतर्गत हकदारी; (viii) पूर्व स्‍कूल शिक्षा; (ix) व्‍यावसायिक शिक्षा; (x) खेलकूद और शारीरिक शिक्षा और (11) शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण। योजना का मुख्‍य बल स्‍कूल शिक्षा की गुणवत्‍ता में सुधार करना है और सभी पहलों की कार्यनीति स्‍कूल के सभी स्‍तरों पर अधिगम परिणामों में वृद्धि करनी होगी।

समग्र शिक्षा की मुख्‍य विशेषताएं निम्‍न प्रकार हैं:

1. पुस्‍तकालयों के सशक्तिकरण के लिए 5,000 रूपये से 20,000 रूपये प्रति स्‍कूल का वार्षिक अनुदान।
2. कंपोजिट स्‍कूल अनुदान 14,500-50,000 से बढ़ाकर 25,000-1 लाख तक किया गया और इसका आवंटन स्‍कूल नामांकन के आधार पर किया जाना है।
3. प्राथमिक स्‍कूलों के लिए 5000 रूपये, उच्‍चतर प्राथमिक स्‍कूलों के लिए 10,000 रूपये और माध्‍यमिक और उच्‍चतर माध्‍यमिक स्‍कूलों के लिए 25,000 रूपये की लागत के खेल उपकरणों के लिए वार्षिक अनुदान।
4. विशेष आवश्‍यकता वाले बच्‍चों के लिए आवंटन को प्रतिवर्ष प्रति बच्‍चा 3,000 रूपये से बढ़कर 3,500 रूपये कर दिया गया है जिसमें सीडब्‍लूएसएन बालिकाओं को कक्षा– I से XII तक दिए जाने वाले 200 रूपये प्रति माह का वजीफा शामिल है - पहले यह केवल कक्षा–IX से XII तक के लिए था।
5. वर्दी के लिए आवंटन को 400 से बढ़ाकर 600 रूपये प्रति बच्‍चा प्रति वर्ष कर दिया गया है।
6. पाठ्यपुस्‍तकों के लिए आवंटन को 150/250 से बढ़ाकर 250/400 रूपये प्रति बच्‍चा प्रति वर्ष तक दिया गया है।
7. कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) का कक्षा 6-8 से कक्षा 6-12 तक स्‍तरोन्‍नयन।
8. सेवाकालीन और सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल संस्‍थान के रूप में एससीईआरटी के शिक्षकों की गुणवत्‍ता में सुधार करने के लिए एससीईआरटी और डीआईईटी जैसी अध्‍यापक शिक्षा संस्‍थाओं का सशक्तिकरण।
9. स्‍मार्ट कक्षाओं, डिजिटल बोर्डों और डीटीएच के माध्‍यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग।

नए स्‍कूल को खोलने के लिए जनजातीय क्षेत्रों को और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अल्‍पसंख्‍यक जनसंख्‍या के बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुस्लिमों की जनसंख्‍या के बहुल जिलों की पहचान, स्‍कूल शिक्षा के सभी स्‍तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष फोकस वाले जिलों (एसएफडी) के रूप में की गई है। वे बच्‍चे जो विरल जनसंख्‍या वाले क्षेत्रों में रह रहे है, वे बच्‍चे जो ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं जहां स्‍कूल भूमि के उपलब्‍ध न होने के कारण खोले नहीं जा सकते और वे बच्‍चे जिन्‍हें देखभाल और संरक्षण की आवश्‍यकता है, उनके लिए 1020 आवासीय स्‍कूल/छात्रावास खोलने का प्रावधान भी किया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लाभवंचित समूहों के बच्‍चों सहित स्‍कूल की पढ़ाई छोड़ने वाले बच्‍चों को आयु उपयुक्‍त दाखिला देने के लिए विशेष प्रशिक्षण का भी प्रावधान है। वर्ष 2018-19 में 56353.95 लाख रूपए के वित्‍तीय परिव्‍यय के साथ 8.08 लाख बच्‍चों के विशेष प्रशिक्षण के लिए अनुमोदन दिया गया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्‍न पहलों के कार्यान्‍वयन के लिए 30891.81 करोड़ रूपए के कुल बजट की तुलना में केंद्रीय शेयर के रूप में, राज्‍यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों को (30.11.2018 की स्थिति के अनुसार) 19668.26 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है।

**\*\*\*\*\***